फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)
"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.12.2023"
भानेसिंह बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 84 / 2023 जीसीएमएस संख्या– 2023 / 158

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2023	यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री भानेसिंह पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही खुड़ी की जमावन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 233 में प्रार्थी का नाम भानसिंह पुत्र लालसिह दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार भानेसिंह पुत्र लालसिंह है। प्रार्थी का नाम भानसिंह पुत्र लालसिह के स्थान पर भानेसिंह पुत्र लालसिंह किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही खुड़ी की जमावन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 233 में प्रार्थी का नाम भानसिंह पुत्र लालसिह दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान का नाम भानेसिंह पुत्र लालसिंह है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र दस्तावेजात,एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमावन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 233 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	खूड़ी	233 (नया)	भानसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी खूड़ी खातेदार	भानेसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी खूड़ी खातेदार

राहिन की प्रविष्टि यदि कोई हो तो यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्व जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

09.12.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़